रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 30, 1990/चैत्र 9, 1912

No. 185] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 30, 1990/CHAITRA 9, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना सं 1/90

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1990

का.आ. 273(अ) :—विषय :—निर्यात सरलीकरण समिति का गठन, कार्य और प्रणाली

1. उद्देश्य :—लदान पूर्व और लदान के बाद के स्तरों से संबंधित निर्यातकों की समस्याओं पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय प्रभार मंत्रालय निकासी सदन की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने निर्यात सरलीकरण समिति बनाने का निश्चय किया है। समिति निर्यातकों की उन सामान्य समस्याओं को देखेगी जिन्हें वाणिज्य मंत्रालय या अन्य मंत्रालयों/विभागों में संबंधित अभिकरणों के उनके साथ पारस्परिक कार्य के परिणामस्वरूप दूर नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य जहां संभव हो समाधान का प्रस्ताव करना है और व्यावहारिक और सुनिश्चित ढंग से निर्यातकों की समस्याओं को दूर करने के लिए कार्यवाही की गति को मानिटर करना और सुधारना है।

2. गठन :—निर्यात सरलीकरण समिति (ईएफसी) के अध्यक्ष मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात होंगे और इसमें संबंधित सरकारी विभागों और व्यापार और उद्योग दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति के अन्य सदस्य :—सदस्य (कस्टम), वाणिज्य मंत्रालय में (1) संयुक्त सचिव (निर्यात सेवाएं); (2) संयुक्त सचिव (निर्यात उत्पादन); (3) संयुक्त सचिव (संस्थान); (4) उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव (मंत्रिमंडल समिति के मानिटरिंग यूनिट (एम यू सीसी); (5) संयुक्त सचिव (परिवहन); (6) संयुक्त सचिव (बैंकिंग); (7) संयुक्त सचिव (रसायन); (8) डी जी, डी जी टी डी; (9) निदेशक (डी बी के); (10) आई डी बी आई के प्रतिनिधि; (11) एक्जिम बैंक और (12) ई सी जी सी के प्रतिनिधि होंगे। फास्सोकैम, एफ आई ओ ओ आई, एफ आई ई ओ और ए ई आई प्रत्येक के प्रतिनिधि व्यापार का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह समिति जब और जैसे ही उचित हो सीमा शुल्क समाहर्ता, निर्यात संवर्धन परिषदों/पण्यवस्तु बोर्ड या आई आई एफ टी जैसे संस्थानों जैसे दूसरे कार्यकर्ताओं को बुलाने के लिए प्राधिकृत होगी। निर्यात आयुक्त सदस्य सचिव होंगे और सचिवालय सहायता प्रदान करेंगे।

3 कार्य :—निर्यात सरलीकरण समिति पोत लदान पूर्व की उन समस्याओं पर सुविचार करेगी जिनका संबंध (1) ऋण की उपलब्धता, (2) निवेश (पूंजी-गत माल और कच्चा माल दोनों), (3) सहयोग, (4) शतप्रतिशत एक. ओ. यू. की स्थापना, (5) बाजारों का संवर्धन, (6) शुल्क वापसी और दरों का निर्धारण, (7) परिवहन अभिसरचना आदि से है। इसी प्रकार निर्यात सरलीकरण समिति पोतलदानोत्तर

समस्याओं जैसे (क) सी.सी.एस./आर.ई.पी./अतिरिक्त लाइसेंसों/डी.बी.के./आई.पी.आर.एस. के तरीके प्रोत्साहन की अदायगी, (ख) सीमाशुल्क निकासी और (ग) व्यापार विवाद पर भी विचार करेगी।

4. प्रलेखन और प्रणालीकरण:—निर्यात सरलीकरण समिति स्व प्रस्ताव से अथवा किसी दूसरे सदस्य की प्रार्थना पर, मामलों पर विचार कर सकती है निर्यातक समुदाय के सदस्यों के मामलों/शिकायतों के प्रस्तुतीकरण के मानदण्ड बनाने के लिए एक साधारण फारमेट बनाया जायेगा। यह आवेदन पत्र निर्यात आयुक्त को संम्बोधित किया जा सकता है जो, बदले में, तथ्यों की तुलना कर सकता है और संबंधित सरकारी विभागों के विचारों की जानकारी प्राप्त कर सकता है और उन्हें निर्यात सरलीकरण समिति के समक्ष विचार के लिए रख सकता है। प्रशासकीय विभाग/मंत्रालय को, निर्यात सरलीकरण समिति द्वारा परीक्षण के लिए प्रत्येक संदर्भित मामले पर विस्तृत टिप्पणी करने के लिए, 15 दिन का समय दिया जायेगा। प्रयास यह होगा कि निर्यात सरलीकरण समिति के स्तर पर समस्याओं का समाधान कर दिया जाय और लिये गये फैसलों की जानकारी निर्यातकों को दे दी जाय। कोई मामला/समस्या, जो शेष बचता है और जिस पर पर्याप्त रूप से प्रभावशाली तरीके से विचार किया जा चुका है, निर्यात सरलीकरण समिति द्वारा विचार/निर्णय के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में निर्यात संबंधी सचिवों की समिति को भेजा जा सकता है। इसके अलावा, लाइसेंसों के स्पष्टीकरण और जारी करने और इंसेंटिव्ज को अदा करने के लिए गठित विभिन्न समितियों का सामान्य निष्पादन सूचना, मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए जैसे भी और जहां भी आवश्यक समझा जाय, निर्यात सरलीकरण समिति के समक्ष रखा जायेगा

5. बैठकें करने की अवधि:—निर्यात सरलीकरण समिति की बैठक महीने में एक बार होगी।

[फाइल सं. 19/17/90/ई.-2]

तेजेन्द्र खन्ना, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION NO. 1|90

New Delhi, the 30th March, 1990

S.O. 273(E).—Subject :—Constitution, Functions and Methodology of the Export Facilitation Committee.

1. OBJECTIVE.—With a view to provide a high level inter-Ministerial clearing house to deal with problems of exporters related to the pre-and post-shipment stages, Government have decided to constitute an Export Facilitation Committee. The Committee will look into problems of generic nature faced by the exporters and which have not been resolved as a result of their direct interaction with the concerned agencies in the Ministry of Commerce or other Ministries|Departments. Its objective will be to propose solutions, wherever possible, and to monitor and improve the speed of processing so as to resolve problems encountered by exporters in a pragmatic and positive manner.

2. CONSTITUTION.—The Export Facilitation Committee (EFC) will be chaired by the Chief Controller of Imports and Exports and will have representation both from the concerned Government Departments and from trade and industry. The other members of the Committee will be : Member (Customs), (i) JS (Export Services); (ii) JS (Export Production); (iii) JS (Institutions) in the Ministry of Commerce; (iv) Joint Secretary (Monitoring Unit of Cabinet Committee) (MUCC) in the Ministry of Industry; (v) JS (Transport); (vi) Joint Secretary (Banking); (vii) JS (Chemicals; (viii) DDG, DGTD; (ix) Direcor (DBK); (x) representative of IDBI; (xi) EXIM Bank; (xii) ECGC and (xiii) A Representative each of ASSOCHAM, FICCI, FIEO and CEI will represent the trade. This Committee will be authorised to invite other functionaries like Collectors of Customs, representatives of the Export Promotion Councils|Commodity Boards or institutions like IIFT, as and when considered appropriate. The Export Commissioner will be the Member-Secretary and will provide secretarial assistance.

3. FUNCTIONS.—The EFC will deliberate on the pre-shipment problems which relate to (i) availability of credit, (ii) Inputs (both capital goods and raw materials), (iii) collaborations, (iv) setting up of 100% EOUs, (v) promotion of markets, (vi) fixation of drawback and rates, (vii) transport infrastructure, etc. Similarly, EFC will look into post-post-shipment problems such as (a) disbursement of incentives by way of CCS|REP|Additional Licences| DBK|IPRS (b) Customs clearance ; and (c) trade disputes, etc.

4. DOCUMENTATION AND METHODOLOGY.—The EFC may, suo moto or on the request of any member, take up cases for consideration. A common format will be devised to standardise the presentation of the issues|grievances of the members of the exporting community. This application form may be addressed to the Export Commissioner, who in turn, may compare facts and ascertain views from the concerned Government Departments and place them before the EFC for consideration. The Administrative Department|Ministry will be given time of 15 days to offer detailed comments on each of the referred cases for the scrutiny of EFC. The effort will be to solve the problems at the EFC level and communicate the decision to the exporter. Any issues| problems which remain and are considered sufficiently weighty may be referred by EFC to the Committee of Secretaries on Exports, headed by the Commerce Secretary, for consideration|decision. Besides, the general performance of the various Committees constituted for clearing and issuing licences and disbursing the incentives will be placed before the EFC for the purpose of information, monitoring and evaluation, as and when considered necessary.

5. PERIODICITY OF THE MEETINGS.—EFC will meet once in a month.

[File No. 19|17|90-EII]

TEJENDRA KHANNA,
Chief Controller of Imports & Exports

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990